न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहनलाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 71/2018

वादी

1. उमेश राणा पुत्र चौधरी मुल्तानसिंह राणा उम्र 43 वर्ष जाति जाट निवासी तहसील बजघेडा, जिला गुडगांव (हरियाणा)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. भंवरलाल पुत्र श्री घासीराम
2. जस्साराम पुत्र श्री घासीराम
3. बाबुलाल पुत्र श्री घासीराम
4. दीपकचंद पुत्र श्री घासीराम
5. हीरालाल पुत्र श्री घासीराम
6. सोनाराम पुत्र श्री घासीराम
7. ढगलाराम पुत्र श्री घासीराम
8. जितेन्द्र पुत्र श्री पुखा
9. दुर्वास पुत्र श्री पुखा
10. सुखीदेवी पत्नि श्री पुखराज
11. मोहनलाल पुत्र श्री मिश्रीलाल
12. रखाराम पुत्र श्री मिश्रीलाल
13. बालुराम पुत्र श्री मिश्रीलाल
14. हापुराम पुत्र श्री मिश्रीलाल
15. हंसराज पुत्र श्री मिश्रीलाल
16. भीयाराम पुत्र श्री मिश्रीलाल
17. रामपाल पुत्र श्री मिश्रीलाल
18. पुसा पुत्र श्री मिश्रीलाल
19. सोहनलाल पुत्र श्री मिश्रीलाल
20. हंजा पत्नि श्री मिश्रीलाल
21. नैनाराम पुत्र श्री मुल्तानराम
22. अमरसिंह गोद पुत्र श्री जोरा
23. चन्द्रलाल पुत्र श्री घासू
24. स्वरूप पुत्र श्री घासू
25. नैनाराम पुत्र श्री हरीशचन्द्र
26. भौलाराम पुत्र श्री हरीशचन्द्र
27. केवलाराम पुत्र श्री प्यारा
    सभी जातियान साद निवासी लितरिया तहसील जैतारण जिला पाली (राज.)
28. सुमित अग्रवाल पुत्र मूलचंद जाति अग्रवाल निवासी जैतारण
29. हीना सोनी पत्नि निर्मल सोनी जाति सोनी निवासी जैतारण
30. तहसीलदार जैतारण

<u>राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> **<u>तारीख रजू:.21/03/2018</u>**

उपस्थितः. 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता वादी।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 15/06/2018**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा- लितरिया पटवार हल्का काणेचा में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 291 रकबा 9-08 किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 292 रकबा 20-05 किस्म बा.अ. की आई हुई है। उक्त खसरा नम्बर में वादी ने कृषि भूमि खरीद की थी। एवं खरीद के बाद वादी ने आज दिन तक अपने अपने कब्जे अनुसार काबिज होकर बिना किसी रोक टोक के काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी लितरिया सरहद में आई हुई है वादीगण व प्रतिवादीगण के मौके पर अपने हक हिस्से पर सभी खातेदारान के समझौता कर मौखिक बंटवाड़ा कर मौके पर कब्जा प्राप्त कर लिया गया है उसी माफिक आज दिन तक काबिज है। तथा उपरोक्त वर्णत कृषि भूमि से वादी माफिक अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। एवं मौके पर अलग बटी हुई है एवं माठ कायम है नकल जमाबंदी वाद पत्र के साथ पेश है जिसे वादपत्र का एक आवश्यक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित आराजी वादी एवं प्रातिवादीगण की राजस्व रेकर्ड में शामलाती आराजी है जिसका कानून बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा नही हो रखा है मौके पर आपसी सहमति से उक्त आराजी का वादी व प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से अनुसार उपयोग उपभोग कर रहे है। एवं माफिक हिस्से अनुसार वादी मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। एवं वादी ने खरीद के समय से ही प्रतिवादीगण से मौके पर आपसी सहमति से उक्त आराजी का बंटवाड़ा कर लिया है परन्तु राजस्व रेकर्ड उक्त आराजी आज दिन तक शामलाती चली आ रही है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज होने उसका कानून बाई मिट्स एण्ड बंटवाड़ा नही होने से वादी को अनेकों प्रकार की कठिनाईओं का सामना करना पड रहा है जिससे वादी अपनी आराजी में कुआ खुदवाने, बैक से ऋण लेने अपनी आराजी को उपजाऊ बनाने चारो तरफ तारबन्दी करने आदि में वादी को अनेको प्रकार की परेशानियों से बचने के लिए कानून बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस यह वाद पत्र पेश है। उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी माफिक अपने हिस्से अनुसार उक्त भूमि में मौके पर कब्जा काश्त है परन्तु प्रतिवादीगण वादी को मौके से बेदखल कर वादी की बेसकिमती आराजी को हड़प करना चाहते है। तथा आयेदिन उसके कब्जे काश्त में दखलअंदाजी कर रहे है। तथा वादी की आराजी में कब्जा करने पर उतारू है। जबकि प्रतिवादीगण उक्त आराजी चारो तरफ की गयी मेड़बन्दी को बिखेर देते है। एवं आये दिन प्रतिवादीगण दखलअंदाजी करते रहे है। तथा प्रतिवादीगण वादी को ऐलानिया धमकी देते है कि उसको मौके से बेदखल कर सम्पूर्ण आराजी पर अकेले ही कब्जा कर लेगे यदि प्रतिवादीगण इन नापाक इरादो में कामयाब हो जाते है एवं वादीग को मौके से बेदखल कर देते है तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी एवं अपने जायज हक अधिकारों से महरूम हो जावेगे। इसलिए वादी के पास कोई विकल्प शेष नही होने से यह वाद बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश है। दिनांक 20.2.2018 को प्रतिवादीगण ने मौके से बेदखल करने की धमकी दी वादी ने प्रतिवादीगण को कहा कि आपसी रजामंदी से उक्त कानूनी बंटवाड़ा कर ले। जिस तरह से पूर्व में अपना बंटवाड़ा हो रखा है उसी अनुसार तहसील कार्यालय में चलकर आपसी रजामंदी से मौके पर बंटवाड़ा कर राजस्व रेकर्ड में बंटवाड़ा कर लेवे परन्तु प्रतिवादीगण इन्कार हो गये तथा प्रतिवादीगण ने कहा कि उसे बेदखल कर सम्पूर्ण हक अधिकार जमा लैंगे यदि प्रतिवादीगण अपने गैरकानूनी कार्य में कामयाब हो जाते है तो वादी अपने हक अधिकारो से हमेशा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

हमेशा के लिए महरूम होना पड़ेगा व मौके पर लड़ाई झगड़ा व विवाद बढ़ेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसेडिंग्स बढ़ेगी। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही होने से यह वाद पत्र बाबत बंट्वाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध प्रतिवादीगण के पेश है। प्रतिवादीगण सं 30 भूमिधारी लैण्ड होल्डर राज सरकार होने से पक्षकार बनाये गये है। बिनाय वाद दिनांक 20.2.2018 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त आराजी का बंटवाड़ा करने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा इंकार होने एवं वादी को मौके से बेदखल करने का ऐलानिया धमकी देने से बमुकाम लितरिया तहसील जैतारण जिला पाली में पैदा हुआ जो श्रीमान के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 29 बावजूद तामिली / सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। उपस्थित वकील वादी को सुना गया। वकील वादी ने जाहिर किया कि माफिक राजस्व रेकर्ड मेरे हिस्से की आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा किये जाने की ईस्तदूआ की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं। वादीगण अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहता हैं। लिहाजा वादीगण के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि राजस्व मौजा- लितरिया, पटवार हल्का-काणेचा में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 291 रकबा 9-08 किस्म बारानी अव्वल व खसरा नम्बर 292 रकबा 20-05 किस्म बा.अ. भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बॉउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2018/339 दिनांक 26/03/2018 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण के पत्रांक/भू.अ./2018/1434 दिनांक 27/03/2018 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केम्प काणेचा पेश हुई। बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा- लितरिया पटवार हल्का काणेचा में वादी एवं प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 291 रकबा 9-08 किस्म बारानी अव्वल व खसरा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

नम्बर 292 रकबा 20-05 किस्म बा.अ., कुल किता-2 कुल रकबा 29-13 बीघा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रुप से किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	भंवरू जस्सा बाबु दीपा हीरा सोना ढगला पि0 घासु हि0 47/151, सुगनचन्द पुत्र सिन्दुरीलाल, जितेन्द्र दुर्वास पि0 पुखा, सुकडी पत्नि पुखा हि0 47/151, अमरसिंह गोद जोरा, चन्द्रलाल पुत्र घासु, भोलाराम पुत्र हरिशचन्द्र हि0 10/151, कौम-साद सा0 देह, उमेश राणा पुत्र चौधरी सुल्तानसिंह राणा कौम-जाट हि0 47/151 सा0 बजघेड़ा, तह.-गुडगांव खातेदार। रहन- बाबु पुत्र घासु का हि0 एसबीबीजे जैतारण, सुगनचन्द का हि0 पीएनबी जैतारण।	291	07-11-00	बा0अ0	4.68 रू.
2	मोहन रखा बालु हापु हंसराज भींया रामपाल पुसा सोहन पि0 मिसरू, हंजा बेवा मिसरू, नैना पुत्र मुल्तान हि0 16/37, नैनाराम पुत्र हरीशचन्द, सरूप पुत्र घासु हि0 6/37 केवलराम पुत्र प्यारा 15/37 कौम-साद सा0 देह खातेदार। रहन-सरूप का हि0 एसबीबीजे आ. कालू, हापू व भीया का हि0 एमजीबीजीबी निम्बोल।	291/1	1-17-00	बा0अ0	1.14 रू.
3	भंवरलाल जस्साराम बाबुलाल दीपचन्द हीरालाल सोनाराम ढगलाराम पि0 घासीराम हि 101/238, सुगनचन्द पुत्र सिन्दुरीलाल, जितेन्द्र दुर्वास पि0 पुखा, सुखीदेवी पत्नि पुखराज हि0 101/238, अमरसिंह गोद जोरा, चन्द्रलाल पुत्र घासु, भोलाराम पुत्र हरिशचन्द हि0 21/238 कौम-साद सा0 देह, उमेश राणा पुत्र चौधरी सुल्तानसिंह राणा हि0 15/238 कौम-जाट सा0 बजघेड़ा, तह. व जिला -गुडगांव खातेदार। रहन-सुगनचन्द पुत्र सिन्दरीलाल का हि0 पीएनबी शाखा-जैतारण, भंवरलाल, जस्साराम, जितेन्द्र, दुर्वास, सुखीदेवी का हि0 ICICI बैंक शाखा-जैतारण, ढगलाराम पुत्र घासीराम का हि0 पीएनबी शाखा-जैतारण।	292	11-18-00	बा0अ0	7.37 रू.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

4	सुमित अग्रवाल पुत्र मूलचन्द अग्रवाल सा0 जैतारण हि0 101/167, मोहनलाल रखाराम बालुराम हापूराम हंसराज भींयाराम रामपाल पुसा सोहनलाल पि0 मिश्रीलाल, हंजा पत्नि मिश्रीलाल, नैनाराम पुत्र मुल्तानराम हि0 34/167, नैनाराम पुत्र हरीशचन्द, सरूप पुत्र घासू हि0 202/167 कौम-साद सा0 देह, हीना सोनी पत्नि निर्मल सोनी हि0 20/167 सा0 जैतारण खातेदार। रहन-हापू, भीया का हि0 एमजीबीजीबी शाखा-निम्बोल ।	292/1	8-07-00	बा0अ0	5.17 क.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनांक 15/06/2018 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र – काणेचा सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner